रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 49] नई दिल्ली, नवम्बर 28—दिसम्बर 4, 2010, शनिवार/अग्रहायण 7—अग्रहायण 13, 1932
No. 49] NEW DELHI, NOVEMBER 28—DECEMBER 4, 2010, SATURDAY/AGRAHAYANA 7—AGRAHAYANA 13, 1932

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 215.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना, संयुक्त निदेशक (भाषा) भर्ती नियम, 2004 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना, संयुक्त निदेशक (भाषा) भर्ती (संशोधन) नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना, संयुक्त निदेशक (भाषा) भर्ती नियम, 2004 में :–

(i) नियम 2 में :–

(क) पार्श्व शीर्षक में "वेतनमान" शब्दों के पश्चात्, "वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान" शब्द रखे जाएं

(ख) "वेतनमान" शब्दों के स्थान पर, "वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) विद्यमान अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :–

5. In the principal rules, after rule 61, the following rule shall be inserted, namely :—

"61A. Income limit of dependent parents for eligibility to medical benefit.—The income of dependent parents for eligibility to medical benefit under sub-clause (v) of clause (11) of Section 2 from all sources shall not exceed five thousand rupees in a month.".

[F. No. S-38012/3/2010-SS-I]

S. D. XAVIER, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i) vide notification number S.R.O. 212, dated the 22nd June, 1950 and last amended vide notification No. G.S.R. 115, dated the 17th July, 2010.

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 224.—कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 में और संशोधन करने के कतिपय मसौदा नियम कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 95 की उप-धारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित भारत के राजपत्र, भाग-2, खण्ड 3, उप-खण्ड (1), दिनांक 9 सितम्बर, 2010 में भारत सरकार श्रम और रोजगार मंत्रालय संख्या सा.का.नि. 745(अ), दिनांक 9 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना में, उन सभी व्यक्तियों से, भारत के राजपत्र की प्रतियां जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई है, जनता को उपलब्ध कराने की तारीख से 30 दिन की अवधि की समाप्ति तक आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किए जाते हैं जिनकी उससे प्रभावित्त होने की संभावना है ।

और जबकि उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 9 सितम्बर, 2010 को उपलब्ध कराई गई थी;

तथा जबकि इस संबंध में किसी व्यक्ति से कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ।

अतः, अब, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के साथ विचार विमर्श करने के पश्चात् कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा नियम बनाती है, नामतः–

1. (1) ये नियम कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) तृतीय संशोधन नियम, 2010 कहे जायेंगे ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950, नियम 5, उप-नियम (1) में

(1) खण्ड (1) में,–

(क) मद (क) में "एक अथवा अधिक बैठकों में उपस्थित होने पर प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपये" शब्दों को "शहर के भीतर यात्रा के लिए प्रत्येक दिन के लिए एक सौ पचास रुपये" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) मद (ख) में, उप मद (क) में, "(पर्यटक)" शब्द और ब्रैकेट को हटाया जाएगा ।

(2) खण्ड (2) में मद (ख) के लिए निम्नलिखित मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(ख) बैठक के आयोजन स्थल के अनिवासी गैर-सरकारी सदस्य को यदि सदस्य होटल में ठहराता है, 1500 रुपये प्रतिदिन तथा जलपान व्यय के लिए 200 रुपये प्रतिदिन से अनधिक अदा किया जाएगा :–

बशर्ते कि दैनिक भत्ते की गैर-सरकारी सदस्य की सामान्य आवास स्थान से कैलेण्डर दिन के आधार पर पूर्ण अनुपस्थिति के लिए गणना की जाएगी : अर्थात् निम्नानुसार आधी रात से आधी रात तक :

6 घंटे से अनधिक अनुपस्थिति के लिए .... शून्य

12 घंटे से अनधिक किंतु 6 घंटे से अधिक अनुपस्थिति के लिए 70%

12 घंटे से अधिक अनुपस्थिति के लिए 100%

[फा. सं. एस-38012/02/2010-सा सु-1]

एस. के. देव वर्मन, संयुक्त सचिव

नोट : प्रधान नियम, अधिसूचना संख्या एस.आर.ओ. 212, दिनांक 22 जून, 1950 द्वारा भारत के राजपत्र के भाग-2, खण्ड 3, उप-खण्ड (1) में प्रकाशित किए गए थे तथा अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 115, दिनांक 17 जुलाई, 2010 द्वारा पिछला संशोधन किया गया ।

New Delhi, the 29th November, 2010

G.S.R. 224.—Whereas certain draft rules further to amend the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, were published as required under sub-section (1) of Section 95 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number G.S.R. 745(E), dated the 9th September, 2010, in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i), dated the 9th September, 2010, for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India which the said notification was published, were made available to the public;

And whereas, the copies of the said Gazette were made available to the public on the 9th September, 2010;

And whereas no objection or suggestion has been received from any person in this regard;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 95 of the Employees' State Insurance Act, 1948, the Central Government, after consultation with Employees' State Insurance Corporation, hereby makes the following rules further to amend the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, namely :—

1. (1) These rules may be called the Employees' State Insurance (Central) (Third Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950 in rule 5, in sub-rule (1),—

(i) In clause (i),—

(a) .. In item (A), for the words "rupees fifty for each day on which he attends one or more meetings", the words "rupees one hundred and fifty for each day for travel within the city" shall be substituted;

(b) .. In item (B), in sub-item (a), the word and brackets "(Tourist)" shall be omitted;

(ii) In clause (ii), for item (B), the following item shall be substituted, namely :—

"(B) A non-official member, not residing at the place where a meeting is held shall be paid, Rs. 1500 per day if member stays in a hotel and, not exceeding Rs. 200 per day as expenses towards food:

Provided that the daily allowances shall be calculated for the entire absence from the normal place of residence of the non-official metter on calendar day basis; i.e.,

Midnight to Midnight as under :

For absence not exceeding 6 hours .... Nil

For absence exceeding 6 hours but not exceeding 12 hours 70%

For absence exceeding 12 hours 100%

[F. No. S-38012/02/2010-SS-I]

S. K. DEV VERMAN, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* notification number S.R.O. 212, dated the 22nd June, 1950 and last amended vide notification No. G.S.R. 115, dated the 17th July, 2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.